भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2504

उत्तर देने की तारीख- 18/12/2023

जनजातियों का विस्थापन

†2504. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय समुदाय विकास परियोजनाओं और खनन कार्यकलापों के कारण निवास स्थानों से विस्थापित हो गया हैं; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ख): भूमि और उसका प्रबंधन भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची II (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत प्रदान किए गए राज्यों के विशेष विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं।
अनुसूची-V के तहत संवैधानिक प्रावधानों में भी भूमि अर्जन आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के विरूद्ध सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकने या प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवंटित भूमि को विनियमित करने का अधिकार है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि अर्जन या विकास परियोजनाओं के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन या उनके पुनर्वासन के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा; अुनसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।
"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों के मुकद्दमें और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास की राहत और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए क्रियान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भी भूमि या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों

सहित उनके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या उपज को छीन लेना अत्याचार के अपराध की श्रेणी में आता है और उक्त अधिनियम के तहत सजा के अधीन है।
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की, धारा 4 (5) में उल्लेखित है कि जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोग के अधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) केंद्र में नोडल मंत्रालय है जो भूमि सुधार के क्षेत्र में निगरानी की भूमिका निभाता है। डीओएलआर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रशासित करता है, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के मामले में मुआवजे, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के प्रावधानों को निर्धारित करता है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थानों और ग्राम सभाओं के परामर्श से यह सुनिश्चित करना है कि; भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया जिसमें भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी हो और उन प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
(i). आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के तहत, डीओएलआर के दिनांक 2 मार्च, 2015 के आदेश संख्या 26011/04/2007-एलआरडी के तहत डीओएलआर में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 और राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 के तहत भूमि अर्जन से संबंधित योजनाओं तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक निगरानी समिति गठित की गई है।

(ii). विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा उपायों के माध्यम से, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और 42 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और तरीके भी निर्धारित करता है।

(iii). आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची भूमि मालिकों के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। दूसरी अनुसूची पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अलावा सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और वे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर है दोनों) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तत्व प्रदान करती है। इसी प्रकार, तीसरी अनुसूची पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है।

सरकार मामले को समझ रही है और ऐसे उदाहरण हैं जहां पोलावरम सिंचाई परियोजना जैसी विकासात्मक परियोजनाओं के कारण जनजातीय समुदाय को उनके निवास स्थानों से विस्थापित किया गया है।
जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए लागू पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन (आर एंड आर)

नीति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013" का पालन करती है जो इस प्रकार है:

प्रति परिवार वार्षिकी या रोज़गार का विकल्प (एकमुश्त भुगतान)	12 महीने की अवधि के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह अनुदान		प्रत्येक परिवार के लिए परिवहन लागत (एकमुश्त भुगतान)	कारीगर/ छोटे व्यापारी और अन्य अनुदान, यदि कोई हो (एकमुश्त भुगतान)	पशुशाला/ छोटी दुकानों को अतिरिक्त सहायता	प्रत्येक परिवार के लिए एकमुश्त पुनर्वास (पुनर्व्यवस्थापन) भत्ता	कुल रुपये में
	सभी परिवारों के लिए	अजा और अजजा के लिए अतिरिक्त					
5,00,000	36,000	50,000	50,000	25,000	25,000	50,000	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परियोजना विस्थापित परिवारों के लिए 6,86,000 रुपये अन्य परियोजना विस्थापित परिवारों के लिए 6,36,000 रुपये

परियोजना के तहत, अधिग्रहीत भूमि के बराबर भूमि या 2.5 एकड़, जो भी कम हो, उन जनजातीय परिवारों को आवास इकाइयाँ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने अपनी भूमि खो दी है और साथ ही प्रत्येक जनजातीय परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) को 6.86 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

*****